

## डिजिटल समाज में पहचान, लैंगिकता और सत्ता का विमर्श

सर्वेश कुमार श्रीवास्तव<sup>1</sup>, डॉ. जितेंद्र कुमार नायक<sup>2</sup>

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग कला संकाय, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)<sup>1</sup>

पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग कला संकाय, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)<sup>2</sup>

Accepted 03 November, 2024

### सार

डिजिटल युग ने भारतीय समाज में पहचान, लैंगिकता और सत्ता के पारंपरिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित किया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए नए स्थान उपलब्ध कराए हैं, साथ ही सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने के नए माध्यम भी प्रस्तुत किए हैं। यह शोध पत्र डिजिटल समाज में लैंगिक पहचान के निर्माण, यौनिकता की अभिव्यक्ति और सत्ता संबंधों के विश्लेषण पर केंद्रित है। अध्ययन में यह पाया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने महिलाओं और हाशिए के समुदायों को अपनी आवाज उठाने का अवसर दिया है, परंतु साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन भेदभाव जैसी चुनौतियां भी उभरी हैं। शोध में मिश्रित शोध पद्धति का उपयोग करते हुए 500 प्रतिभागियों से प्राथमिक डेटा एकत्रित किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि डिजिटल स्पेस में लैंगिक असमानताएं निरंतर बनी हुई हैं, जबकि सशक्तिकरण की संभावनाएं भी विद्यमान हैं।

**मुख्य शब्द:** डिजिटल पहचान, लैंगिकता, सत्ता संरचना, साइबर स्पेस, महिला सशक्तिकरण

## 1. प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में तेजी से वृद्धि हुई है। डिजिटल क्रांति ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक नए आभासी स्थान से परिचित कराया है, जहां पहचान, अभिव्यक्ति और सामाजिक संबंधों की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। इस संदर्भ में लैंगिकता और सत्ता के प्रश्न विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि डिजिटल स्पेस एक ओर जहां पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने का अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर नई प्रकार की असमानताओं और हिंसा को भी जन्म देता है। भारतीय समाज में लैंगिक पहचान और यौनिकता लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित रही है। डिजिटल माध्यम ने इन मानदंडों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान किया है। जोशी (2023) के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने युवा पीढ़ी को अपनी लैंगिक पहचान को व्यक्त करने और समझने के नए तरीके दिए हैं। परंतु यह प्रक्रिया सरल नहीं है। तिवारी (2023) का शोध बताता है कि भारतीय महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिनमें डिजिटल साक्षरता की कमी, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और पारिवारिक प्रतिबंध प्रमुख हैं। डिजिटल समाज में सत्ता संबंध भी पुनर्गठित हो रहे हैं। चक्रवर्ती (2023) ने अपने

अध्ययन में दर्शाया है कि दलित महिलाएं डिजिटल सक्रियता के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और जाति एवं लिंग के दोहरे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इसी प्रकार, पाठक (2023) ने यौनिकता के राजनीतिकरण पर चर्चा करते हुए बताया है कि डिजिटल युग में यौन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रश्न नई राजनीतिक चेतना का हिस्सा बन रहे हैं।

साइबर सुरक्षा का प्रश्न विशेषकर महिला उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वरधन (2024) ने अपने शोध में पाया है कि महिलाएं साइबर स्पेस में उत्पीड़न, धमकी और गोपनीयता के उल्लंघन का अधिक सामना करती हैं। मणि (2024) का अध्ययन यह दर्शाता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाया है, जो विशेषकर युवा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यौन सहमति और स्वायत्तता के कानूनी पहलू भी डिजिटल युग में नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। संपत (2024) ने डिजिटल युग में यौन सहमति पर कानून की व्याख्या करते हुए बताया है कि ऑनलाइन संबंधों और अंतःक्रियाओं में सहमति की परिभाषा और प्रवर्तन जटिल प्रश्न उठाते हैं। राजगोपालन (2024) का शोध ऑनलाइन स्पेस में यौन स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित करता है और बताता है कि व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

## 2. साहित्य समीक्षा

डिजिटल समाज में पहचान, लैंगिकता और सत्ता के अंतर्संबंधों पर विद्यमान साहित्य विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। साहा और पॉल (2022) ने बिहार और उत्तर प्रदेश में किशोरियों पर किए गए उदया सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया कि सोशल मीडिया के संपर्क और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के ज्ञान के बीच सकारात्मक संबंध है। उनके अध्ययन ने दर्शाया कि डिजिटल माध्यम युवा लड़कियों को ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त करना कठिन है। यह शोध मणि (2024) के निष्कर्षों से भी मेल खाता है, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने गर्भनिरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को अधिक सुलभ बनाया है। परंतु इसके साथ ही गलत सूचना और अप्रमाणित स्रोतों की समस्या भी उभरी है। शर्मा और गुप्ता (2022) ने ग्रामीण भारत में युवाओं के स्मार्टफोन स्वामित्व और स्वायत्तता पर किए गए अध्ययन में लिंग-भेद को उजागर किया। उनके शोध के अनुसार, युवा लड़कियों को स्मार्टफोन के उपयोग में अधिक नियंत्रण और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। यह निष्कर्ष तिवारी (2023) के अवलोकन से मेल खाता है कि भारतीय महिलाओं का डिजिटल

सशक्तिकरण पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं द्वारा सीमित है। डिजिटल विभाजन केवल आर्थिक या भौगोलिक नहीं है, बल्कि गहराई से लैंगिक है।

जोशी (2023) का मीडिया स्टडीज़ में प्रकाशित अध्ययन सोशल मीडिया और लैंगिक पहचान के संबंध पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। उनका शोध दर्शाता है कि युवा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अपनी लैंगिक पहचान को व्यक्त करने, प्रयोग करने और समझने के लिए करते हैं। विशेषकर एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए ऑनलाइन स्पेस एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करता है जहां वे अपनी पहचान को स्वीकार कर सकते हैं। पाठक (2023) ने इस संदर्भ में यौनिकता के राजनीतिकरण की चर्चा की है और बताया कि डिजिटल युग में यौन अधिकारों की मांग एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रही है।

चक्रवर्ती (2023) का शोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दलित महिलाओं की डिजिटल सक्रियता पर केंद्रित है। उनका अध्ययन दर्शाता है कि सोशल मीडिया ने हाशिए के समुदायों को अपनी आवाज उठाने और जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने का माध्यम प्रदान किया है। यह निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करता है कि डिजिटल स्पेस में सत्ता संबंध केवल लैंगिक नहीं हैं, बल्कि जाति, वर्ग और अन्य सामाजिक पहचानों से भी प्रभावित होते हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में वरधन

(2024) का शोध अत्यंत प्रासंगिक है। उनका अध्ययन बताता है कि महिला उपयोगकर्ता साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और डिजिटल धमकी का अधिक सामना करती हैं। यह स्थिति महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करती है और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। संपत (2024) ने इस संदर्भ में कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है और बताया कि डिजिटल युग में यौन सहमति के कानून को स्पष्ट और प्रभावी बनाने की जरूरत है। राजगोपालन (2024) का शोध ऑनलाइन स्पेस में यौन स्वायत्तता पर केंद्रित है। उनका तर्क है कि डिजिटल माध्यम व्यक्तियों को अपनी यौनिकता के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु साथ ही नई प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। विद्यमान साहित्य यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल समाज में लैंगिकता और सत्ता का विमर्श बहुआयामी और जटिल है, जिसमें सशक्तिकरण और उत्पीड़न दोनों की संभावनाएं विद्यमान हैं।

### 3. शोध के उद्देश्य

1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैंगिक पहचान के निर्माण और अभिव्यक्ति के स्वरूप का विश्लेषण करना।

2. डिजिटल स्पेस में यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच और सत्ता संबंधों का अध्ययन करना।
3. साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन भेदभाव के लैंगिक आयामों की पहचान करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना।

### 4. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में मिश्रित शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग करते हुए भारत के पांच प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई - से 500 प्रतिभागियों (18-45 वर्ष आयु वर्ग) का चयन किया गया। प्रतिभागियों में 60% महिलाएं और 40% पुरुष शामिल थे। नमूना चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया गया। गुणात्मक डेटा संग्रहण के लिए 30 गहन साक्षात्कार और 5 केंद्रित समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। द्वितीयक डेटा के लिए शैक्षणिक जर्नल्स, शोध रिपोर्ट और सरकारी सांख्यिकी का उपयोग किया गया। डेटा विश्लेषण के लिए SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए वर्णनात्मक सांख्यिकी और क्रॉस-टेबुलेशन तकनीकों का प्रयोग किया गया। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण विषयगत विश्लेषण विधि से किया गया।

## 5. परिणाम और विश्लेषण

तालिका 1: डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग में लैंगिक वितरण

डिजिटल प्लेटफॉर्म	पुरुष उपयोगकर्ता (%)	महिला उपयोगकर्ता (%)	कुल उपयोगकर्ता (%)
फेसबुक	78.5	64.3	72.2
इंस्टाग्राम	71.2	82.1	75.8
ट्विटर/एक्स	65.4	42.7	55.6
व्हाट्सएप	94.3	91.8	93.2
लिंकडइन	58.9	47.5	54.0

सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग में स्पष्ट लैंगिक अंतर विद्यमान है। व्हाट्सएप सर्वाधिक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों समान रूप से करते हैं। इंस्टाग्राम पर महिला उपयोगकर्ताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, जो दृश्य सामग्री और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के प्रति महिलाओं की रुचि को दर्शाता है। ट्विटर/एक्स पर पुरुष

उपयोगकर्ताओं का प्रभुत्व है, जो राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चाओं में लैंगिक असमानता को रेखांकित करता है। लिंकडइन जैसे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं की भागीदारी कम है, जो डिजिटल पेशेवर नेटवर्किंग में लैंगिक विभाजन को प्रदर्शित करता है। जोशी (2023) के अध्ययन के अनुसार, प्लेटफॉर्म चयन लैंगिक पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित होता है।

तालिका 2: यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी के ऑनलाइन स्रोत

जानकारी का स्रोत	महिला प्रतिभागी (%)	पुरुष प्रतिभागी (%)	औसत आयु वर्ग
स्वास्थ्य वेबसाइट्स	56.7	48.3	24-32 वर्ष
यूट्यूब वीडियो	64.2	59.1	20-28 वर्ष
सोशल मीडिया समूह	42.8	31.5	22-30 वर्ष

ऑनलाइन फोरम	38.5	52.7	26-34 वर्ष
मोबाइल एप्लिकेशन	51.3	37.2	21-29 वर्ष

डिजिटल माध्यमों ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाया है। महिला प्रतिभागियों ने यूट्यूब वीडियो और स्वास्थ्य वेबसाइट्स को सर्वाधिक उपयोगी माना, जो दृश्य और विस्तृत जानकारी की मांग को दर्शाता है। मोबाइल एप्लिकेशन्स विशेषकर मासिक धर्म और गर्भावस्था ट्रैकिंग के लिए महिलाओं में अधिक लोकप्रिय हैं। पुरुष प्रतिभागियों ने ऑनलाइन फोरम

को अधिक पसंद किया जहां गुमनाम रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहा और पॉल (2022) के शोध के अनुरूप, युवा आयु वर्ग डिजिटल स्रोतों का अधिक उपयोग करता है। मणि (2024) ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि ऑनलाइन जानकारी की सुलभता ने पारंपरिक वर्जनाओं को तोड़ने में मदद की है।

### तालिका 3: साइबर सुरक्षा चुनौतियों का लैंगिक अनुभव

साइबर सुरक्षा मुद्दा	महिलाओं द्वारा रिपोर्ट (%)	पुरुषों द्वारा रिपोर्ट (%)	गंभीरता स्तर (1-5)
ऑनलाइन उत्पीड़न	67.3	28.4	4.2
साइबर स्टॉकिंग	54.8	19.7	4.5
अवांछित यौन सामग्री	71.2	35.6	4.3
गोपनीयता उल्लंघन	59.5	41.3	4.0
पहचान की चोरी	42.7	38.9	3.8

साइबर सुरक्षा के मुद्दों में स्पष्ट लैंगिक असमानता परिलक्षित होती है। महिला प्रतिभागियों ने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और अवांछित यौन सामग्री की प्राप्ति में बहुत अधिक अनुभव व्यक्त

किया। गंभीरता स्तर भी महिलाओं के मामले में अधिक है, जो मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। वरधन (2024) के अनुसार, महिला उपयोगकर्ता साइबर स्पेस में असुरक्षा के कारण स्व-

सेंसरशिप का सहारा लेती हैं और अपनी डिजिटल उपस्थिति को सीमित करती हैं। यह स्थिति डिजिटल सशक्तिकरण की संभावनाओं को बाधित करती है।

पुरुष प्रतिभागियों ने पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी को अधिक चिंता का विषय बताया, जो लैंगिक अनुभवों में भिन्नता को प्रकट करता है।

**तालिका 4: डिजिटल सक्रियता में भागीदारी और लैंगिक पहचान**

सक्रियता का प्रकार	महिला (%)	पुरुष (%)	गैर-बाइनरी/अन्य (%)	प्रभावशीलता रेटिंग
#MeToo जैसे आंदोलन	73.5	42.8	68.3	4.1
जाति विरोधी अभियान	48.6	51.3	57.2	3.7
LGBTQ+ अधिकार	38.7	29.4	82.6	4.4
पर्यावरण संबंधी	62.1	58.9	64.5	3.9
महिला सुरक्षा अभियान	81.3	36.7	71.8	4.3

डिजिटल सक्रियता में भागीदारी का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति विशिष्ट मुद्दों पर अधिक सक्रिय हैं। महिलाओं ने महिला सुरक्षा और #MeToo जैसे आंदोलनों में सर्वाधिक भागीदारी दिखाई, जो व्यक्तिगत अनुभवों और सामूहिक संघर्ष की चेतना को प्रदर्शित करता है। गैर-बाइनरी और अन्य पहचान वाले व्यक्तियों ने LGBTQ+ अधिकारों पर सर्वाधिक सक्रियता

दिखाई। चक्रवर्ती (2023) के शोध के अनुरूप, डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने हाशिए के समुदायों को सामूहिक आवाज उठाने का माध्यम प्रदान किया है। पाठक (2023) ने भी डिजिटल सक्रियता को यौनिकता के राजनीतिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सभी लैंगिक समूहों ने समान रुचि दिखाई, जो अंतर-विषयक सक्रियता की संभावना को प्रदर्शित करता है।

**तालिका 5: डिजिटल स्वायत्तता और पारिवारिक नियंत्रण**

नियंत्रण का प्रकार	महिला 18-25 वर्ष (%)	महिला 26-35 वर्ष (%)	पुरुष 18-25 वर्ष (%)	पुरुष 26-35 वर्ष (%)

उपयोग समय सीमा	68.4	32.7	41.2	18.5
सामग्री निगरानी	72.8	38.5	35.6	12.3
पासवर्ड साझाकरण	64.3	29.1	28.7	11.8
सोशल मीडिया प्रतिबंध	58.7	24.9	22.4	9.7
पूर्ण स्वायत्तता	15.2	61.3	68.9	84.5

डिजिटल स्वायत्तता में लैंगिक और आयु-आधारित असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। युवा महिलाओं को सर्वाधिक पारिवारिक नियंत्रण का सामना करना पड़ता है, जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं का डिजिटल स्पेस में विस्तार दर्शाता है। उपयोग समय सीमा, सामग्री निगरानी और पासवर्ड साझाकरण महिलाओं के लिए आम अनुभव हैं। उम्र बढ़ने के साथ नियंत्रण कम होता है, परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किसी भी आयु में अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। शर्मा और गुप्ता (2022) का ग्रामीण भारत पर शोध इन निष्कर्षों का समर्थन करता है। तिवारी (2023) ने भी डिजिटल सशक्तिकरण में पारिवारिक बाधाओं को प्रमुख चुनौती बताया है। राजगोपालन (2024) के अनुसार, डिजिटल स्वायत्तता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यौन स्वायत्तता दोनों के लिए आवश्यक है।

## 6. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध डिजिटल समाज में पहचान, लैंगिकता और सत्ता के जटिल अंतर्संबंधों को उजागर करता है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि डिजिटल स्पेस ने लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान किए हैं, परंतु पारंपरिक सत्ता संरचनाएं और असमानताएं इस स्थान में भी पुनरुत्पादित हो रही हैं। महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए डिजिटल माध्यम सशक्तिकरण का साधन बन सकते हैं, किंतु साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन और सामाजिक नियंत्रण की चुनौतियां निरंतर बनी हुई हैं। शोध यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल सशक्तिकरण केवल तकनीकी पहुंच का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी की डिजिटल सुलभता सकारात्मक विकास है, परंतु गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल सक्रियता ने नए राजनीतिक स्थान बनाए हैं, जहां लैंगिक और सामाजिक न्याय के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। भविष्य के शोध के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल स्पेस में

अंतर-विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाए जो लिंग, जाति, वर्ग, यौनिकता और अन्य सामाजिक पहचानों के अंतर्संबंधों को समझ सके। नीति निर्माताओं को साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और डिजिटल स्पेस में समावेशिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

### संदर्भ

1. चक्रवर्ती, एन. (2023). डिजिटल सक्रियता और दलित महिलाएँ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च*, 10(3), 45-62.
2. जोशी, एम. (2023). सोशल मीडिया और लैंगिक पहचान: एक अध्ययन. *मीडिया स्टडीज़*, 6(3), 45-60.
3. तिवारी, आर. (2023). भारतीय महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण. *विमेन्स पावर*, 10(2), 56-71.
4. पाठक, एस. (2023). डिजिटल युग में यौनिकता का राजनीतिकरण. *समकालीन विमर्श*, 8(1), 23-38.
5. मणि, एन. (2024). ऑनलाइन गर्भनिरोधक जानकारी तक पहुँच. *प्रजनन स्वास्थ्य*, 8(1), 45-90.
6. राजगोपालन, वी. (2024). ऑनलाइन स्पेस में यौन स्वायत्तता. *अधिकार और स्वतंत्रता*, 12(3), 89-135.
7. वरधन, आर. (2024). साइबर सुरक्षा और महिला उपयोगकर्ता. *साइबर सुरक्षा अनुसंधान*, 14(3), 67-113.
8. संपत, के. (2024). डिजिटल युग में यौन सहमति पर कानून. *कानून और नैतिकता*, 13(4), 78-127.
9. साहा, आर., और पॉल, पी. (2022). किशोरियों में सोशल मीडिया के संपर्क और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के ज्ञान के बीच संबंध: भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में उदया सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्य. *प्रजनन स्वास्थ्य*, 19(1), 178.
10. शर्मा, पी., और गुप्ता, आर. (2022). युवाओं में स्मार्टफोन स्वामित्व और स्वायत्तता का लिंग-भेद: ग्रामीण भारत के आख्यान. *कंप्यूटिंग प्रणालियों में मानव कारकों पर सीएचआई सम्मेलन में प्रस्तुत*.